राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

संख्या–न0नि0–50–05/2025..1830.............

प्रेषक,

शम्भु कुमार
संयुक्त निर्वाचन आयुक्त,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)।
(कैमूर, नवादा, अरवल, गोपालगंज, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल,
कटिहार, अररिया, मुंगेर, जमुई, बाँका, शिवहर, शेखपुरा को छोड़कर)

पटना, दिनांक– 5.5.26

विषय :– नगरपालिका आम/उप निर्वाचन, 2026–प्राथमिकता के आधार पर ई.वोटिंग की सुविधा प्रदान करने हेतु मतदाता सूची में चिन्हित करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विगत नगरपालिका आम/उप निर्वाचन,2025 की भांति आगामी नगरपालिका आम/उप निर्वाचन,2026 में भी ई.वोटिंग के माध्यम से मतदान कराया जाना प्रस्तावित हैं। जिसमे प्राथमिकता के आधार पर वरिष्ठ नागरिक(80+),शारीरिक रूप से दिव्यांग,असाध्य रोग से ग्रसित,गर्भवती महिला एवं अप्रवासित मतदाता जैसे मजदूर के साथ–साथ प्रथमवार नामित मतदाता एवं सर्विस वोटर्स को भी सुगमतापूर्वक यथास्थान मतदान करने के उदेश्य से ई.वोटिंग का उपयोग कर मतदान कराने का प्रस्ताव है। इसबार प्रत्येक मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं की संख्या का तीस(30) प्रतिशत द्वारा ई.वोटिंग प्रक्रिया का उपयोग में लाया जाने की संभावना है।यह व्यवस्था पूर्णतः स्वैच्छिक(Voluntary) विकल्प हैं,अर्थात ई.वोटिंग के माध्यम से मतदान करना मतदाताओं के इच्छाशक्ति पर होगी,तथा ई.वोटिंग प्रणाली का चुनाव(Opt) करने पर उन मतदाताओं को मतदान केन्द्र पर जाकर मत देने की सुविधा प्राप्त नहीं होगी।

उक्त चुनाव के मद्देनज़र ई.वोटिंग हेतु मतदाता सूची में वरिष्ठ नागरिक(80+),शारीरिक रूप से दिव्यांग,असाध्य रोग से ग्रसित,गर्भवती महिला एवं अप्रवासित मतदाताओं के साथ–साथ प्रथमवार नामित मतदाता एवं सर्विस वोटर्स का सर्वे कर चिन्हित किया जाना आवश्यक प्रतित होता है।

उक्त कार्य हेतु निम्नवत कार्यविधि किया जाना है।

1. वरिष्ठ नागरिक(80+) –मतदाता सूची में अंकित मतदाताओं के उम्र के आधार पर चिन्हित किया जायेगा।
2. शारीरिक रूप से दिव्यांग –जिला कल्याण कार्यालय से समन्वय स्थापित कर दिव्यांगों की सूची से मतदाता सूची को चिन्हित की जाय।
3. गर्भवती महिला –आँगनवाड़ी या आशा कार्यकर्ता से समन्वय स्थापित कर मतदाता सूची को चिन्हित करने की कारवाई की जायेगी।

Sone Bhawan, 3rd Floor, Birchand Patel Marg, Patna – 800 001, Phone 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax: 0612-2507847| E-mail: secbihar@gmail.com

E:\dhiru\Rakesh ji\Rakesh jee\Letter.docx

4. असाध्य रोग से ग्रसित मतदाताओं चिन्हित किया जायेगा।
5. अप्रवासित मजदूर –जिला श्रम कार्यालय से समन्वय स्थापित कर मतदाता सूची मे अप्रवासित मजदूर को चिन्हित करने की कारवाई की जाय।
6. सर्विस वोटर्स को मतदाता सूची से चिन्हित करने की कारवाई की जायेगी।
7. 18–25 वर्ष के उम्र के प्रथमवार मतदाता को चिन्हित करने की कारवाई की जाय।
8. अन्य इच्छुक मतदाता को भी चिन्हित करने की कारवाई की जाय।
9. उक्त कार्य को सम्पादित कराये जाने हेतु एक सहायक निर्वाची पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित की जाय।

अनुरोध है कि उक्त आधार पर अनुमंडल स्तर पर कैम्प लगाकर एवं सर्वे कराकर दिनांक 10.05.2026 तक उपरोक्त मतदाता को चिन्हित करायी जाय एवं दिनांक 11.05.2026 से 20.05.2026 तक आयोग के पोर्टल पर मतदाता सूची में चिन्हित मतदाता को अपलोड की जाय। तत्संबंधी निदेश से सभी संबंधित को अवगत कराना सुनिश्चित की जाय।

विश्वासभाजन

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

ज्ञापांक– न0नि0–50–05 / 2025.....1830 पटना दिनांक–.....5.5.26

प्रतिलिपि– SER Pvt.Ltd के टीम को निदेश दिया जाता है कि ई–वोटिंग के लिए मतदाताओ को चिन्हित करने हेतु उपर्युक्त समयबद्धता को देखते हुए मोनेटरिंग डैसबोर्ड अविलम्ब तैयार किया जाए।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

ज्ञापांक– न0नि0–50–05 / 2025.....1830 पटना दिनांक–.....5.5.26

प्रतिलिपि– CDAC हैदराबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

ज्ञापांक– न0नि0–50–05 / 2025.....1830 पटना दिनांक–.....5.5.26

प्रतिलिपि– आई टी.मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

ज्ञापांक–न0नि0–50–05 / 2025.....1830 पटना दिनांक–.....5.5.26

प्रतिलिपि– सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

ज्ञापांक न0नि0–50–05 / 2025.....1830 पटना दिनांक–.....5.5.26

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

ज्ञापांक न0नि0–50–05 / 2025.....1830 पटना दिनांक–.....5.5.26

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार सरकार को सादर सूचनार्थ।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।